रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112022-240046 CG-DL-E-04112022-240046

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4918] No. 4918] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5137(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5346(अ) तारीख 23 दिसंबर 2021, का.आ. 1657(अ) तारीख 6 अप्रैल 2022 और का.आ. 4482(अ) तारीख 23 सितंबर 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) किमी 3+800 से किमी 7+300 तक, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-144A, के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "दिनांक 25 दिसंबर 2021, 8 अप्रैल 2022 और 27 सितंबर 2022" को "डेली एक्सेलिसयर" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

7330 GI/2022 (1)

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-144A के साथ दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) के किमी 3+800 से किमी 7+300 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि, संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त का विवरण।

राज्य व	राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर जिले का नाम: जम्मू							
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम			
1	2	3	4	5	6			
	तालुक का नाम: जम्मू साउथ							
	गांव का नाम: रख रायपुर (बेलीचरना )							
1	173	सरकारी	गैर कृषि	0.0923	सरकार काश्तकार- मकब्जा पशुपालन फार्म बेलिचराना (173)			
2	179	सरकारी	गैर-कृषि	0.0632	सरकार काश्तकार- मकबूजा सरकार (179)			
3	189	निजी	कृषि	0.0077	चांट कौर पुत्री राजीव सिंह वासी विजय नगर, तालाब तिलो रतन लाल पुत्र बिन्दू राम वासी तहसील अखनूर राकेश कुमार टंडन पुत्र मुल्ख राज टंडन वासी नरवाल पैन खुद काश्तकार तीरथ सिंह पुत्र कन्या सिंह वासी बडगाम, वर्तमान में देह सत पाल पुत्र साई दास वासी चक भगवाना अखनूर संदीप पेंचीदा पुत्र हिरा लाल पेंचीदा और अजय गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश रचना शर्मा पुत्री			

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

					रोमेश चन्दर वासी माकन नंबर 42 अशोक नगर, जम्मू राज कुमार पुत्र गिरधारी लाल वासी भौर कैंप मंजीत सिंह,इक़बाल सिंह पुत्र श्रीमती अनूप कौर पुत्री राजिंदर कौर विद्वाह तारा सिंह वासी भौर कैंप काश्तकार-खुद भजन कुमार पुत्र साई दस ब्राहमण वासी चक भगवान तहसील अखनूर काश्तकार-खुद (189)	
	गांव का नामः सतवारी					
4	292	सरकारी	गैर-कृषि	0.0809	सरकारी मकब्जा मिलिट्री (292)	
5	293	सरकारी	गैर-कृषि	0.0379	सरकारी मकब्जा मिलिट्री (293)	
		कुल	0.282			

फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3D ]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

**S.O.** 5137(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5346(E) Dated 23 December 2021, S.O. 1657(E) Dated 6 April 2022 and S.O. 4482(E) Dated 23 September 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH No. NE5) from Km 3+800 to Km 7+300 along the existing NH-144A in the district JAMMU in the UT of Jammu and Kashmir.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Excelsior" and "Amar Ujala" dated 25 December 2021, 8 April 2022 and 27 September 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for construction, operation & maintenance of Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH No. NE5) from km. 3+800 to km. 7+300 along the existing NH-144A in the district of Jammu in the UT of J&K

State	State: JAMMU & KASHMIR District: JAMMU								
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Jammu South								
	Village: Rakl	Village: Rakh Raipur( Belicharana)							
1	173	Government	Non- Agriculture	0.0923	Government Cultivator- Makbooja Animal Husbandry Farm Balicharan 173				
2	179	Government	Non- Agriculture	0.0632	Government Cultivator- Makbooja Government 179				
3	189	Private	Agriculture	0.0077	Chant Kaur D/o Rajeev Singh R/O Vijay Nagar, Talab Tillo. Rattan Lal S/o Bindru Ram R/O Tehsil Akhnoor. Rakesh Kumar Tandon S/o Mulkh Raj Tandon R/O Narwal Pain Self Cultivation. Tirth Singh S/o Kaniya Singh R/o Budgam, At Present Deh. Sat Paul S/o Sai Das R/o Chak Bhagwana, Akhnoor. Sandeep Panchida S/o Hira Lal Panchida and Ajay Gupta S/o Om Prakash. Rachna Sharma D/o Romesh Chander R/o H.no.42 Ashok Nagar Jammu Raj Kumar S/o Girdhari Lal R/o Bhour Camp Manjeet Singh,Iqbal Singh Sons Mst.Anoop Kaur D/o Rajinder Kaur Widow Tara Singh R/o Bhour Camp Cultivator-Self. Bhajan Kumar S/o Sai Das Brahman R/o Chak				

					Bhagwana Tehsil Akhnoor Cultivator-Self. 189	
	Village: Satwari					
4	292	Government	Non- Agriculture	0.0809	Government Makbooza Military 292	
5	293	Government	Non- Agriculture	0.0379	Government Makbooza Military 293	
			TOTAL	0.282		

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3D]

RAJESH GUPTA, Director